अध्याय 7:
वित्तीय प्रबंधन

अध्याय 7: वित्तीय प्रबंधन

7.1 पीएमयूवाई दावों के निपटान हेतु बजट

पीएमयूवाई के अंतर्गत जारी एलपीजी कनेक्शनों के प्रति ओएमसीज के दावे तिमाही आधार पर पीपीएसी के पास दायर किए जाने थे जिसे सितम्बर 2016 से मासिक आधार पर संशोधित कर दिया गया । पीपीएसी इनकी संवीक्षा कर एमओपीएनजी को अग्रेषण करती है जो ओएमसीज के दावों की प्रतिपूर्ति करती है।

पीएमयूवाई कनेक्शनों का निर्गमन और उनके निपटान का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिका 7.1: आबंटित निधियां और उनके उपयोग का विवरण

(आंकड़े करोड़ में)

वर्ष	जारी पीएमयूवाई कनेक्शन	बजट आकलन	संशोधित आकलन	प्रयुक्त बजट	ओएमसीज के प्रसंस्कृत दावे	टिप्पणी
2016-17	2.00	2000.00	2500.00	2500.00	जनवरी 2017 तक	2016-17 के लिए ₹ 498.77 करोड़ के शेष दावों का निपटान 2017-18 में हुआ।
2017-18	1.56	2500.00	2251.81	2251.81	सितम्बर 2017 तक	2017-18 के लिए ₹ 672.84 करोड़ के शेष दावों का निपटान 2018-19 में हुआ।
2018-19	2.39 (ई-पीएमयूवाई के अतर्गत 2.09 करोड़ सहित)	3200.00	लागू नहीं	3200.00	अगस्त 2018 तक (आंशिक भुगतान)	• अगस्त 18 से नवम्बर 18 तक की अवधि हेतु ₹ 1232.00 करोड़ की राशि के शेष दावों का निपटान 2019-20 में हुआ। • दिसम्बर 2018 के लिए ₹ 177.11 करोड़ के दावे का भुगतान एमओपीएनजी द्वारा प्रक्रियाधीन

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना लक्ष्य को आठ करोड़ तक बढ़ाते समय, 2016-17 से 2019-20 तक प्रत्येक वर्ष के लिए वर्ष-वार पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य भी संशोधित (सितम्बर 2017) करके दो करोड़ कर दिया गया था। तथापि,न तो 2017-18 के लिए आरई न ही 2018-19 के लिए बीई, लक्ष्यों के संशोधन के अनुरूप या पिछले वर्षों के लिए कमी को पूरा करने हेतु आबंटित किये गये।

बजट में कमी के कारण इसका परिणाम इन वर्षों में दावों के आंशिक निपटान के रूप में सामने आया।

यदि दावों के आंशिक निपटान के कारण होने वाली कमी सहित ओएमसीज के लंबित दावों के निपटान हेतु एमओपीएनजी को समुचित बजट नहीं मिला तो पीएमयूवाई/ईपीएमयूवाई के भविष्य मे जारी होने वाले कनेक्शनों को देखते हुऐ यह परिस्थिति बने रहने की संभावना है।

एमओपीएनजी ने उत्तर (मई 2019) दिया कि उन्होंने ₹ 9183 करोड़ की राशि के दावों की प्रतिपूर्ति कर दी है और वर्तमान तिथि तक कोई दावा लंबित नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जा सकता है कि ₹ 9183 करोड़ में से, वर्ष 2018-19 (अगस्त 2018 से दिसम्बर 2018) के ₹ 1232 करोड़ के दावों का निपटान 2019-20 के बजट से किया गया था। इसके अतिरिक्त जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए ₹ 1894.59 करोड़ की राशि के दावों को पीपीएसी द्वारा प्रसंस्कृत किया जाना था। इस प्रकार, बजट में आवर्ती कमी के परिणामस्वरूप ओएमसीज के दावों की प्रतिपूर्ति में विलम्ब हुआ।

7.2 वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना एनओसीज से सीएसआर निधियों का संग्रहण करना

योजना को स्वीकृत करते समय, सीसीईए ने यह निर्दिष्ट किया था कि कुल योजना निधि में उपलब्ध बचत और ओएमसीज की सीएसआर निधियों में से, प्रशासन और आईईसी संबंधित कार्यकलापों के प्रति दो *प्रतिशत* से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा। एमओपीएनजी ने, पीएमयूवाई के कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीके निर्धारित करते समय ओएमसीज को निर्दिष्ट किया की राष्ट्रीय तेल कंपनियों[19] की सीएसआर निधियों के 20 *प्रतिशत* का प्रयोग पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए दो *प्रतिशत* प्रशासनिक/आईईसी व्यय की सीमा तक किया जाएगा। आईओसीएल को नोडल ऐजेंसी के रूप में नामित किया गया।

तदनुरूप, एनओसीज ने अपनी सीएसआर निधियों के 20 *प्रतिशत* का अंशदान दिया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 7.2: एनओसीज द्वारा अंशदान की गई सीएसआर निधियों का विवरण (₹ करोड़ में)

कंपनी	सीएसआर योगदान			
	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
ओएनजीसी	107.13	-	-	107.13
गेल	16.30	-	-	16.30
ऑयल	15.80	12.35	11.23	39.38
आईओसीएल	41.60	76.43	85.38	203.41
बीपीसीएल	31.82	36.67	40.54	109.03
एचपीसीएल	16.58	25.27	31.44	73.29
कुल	**229.23**	**150.72**	**168.59**	**548.54**

मार्च 2019 को पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन जारी करने हेतु ओएमसीज द्वारा सीएसआर निधि के उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

[19] एनओसीज अर्थात ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल और ऑयल

तालिका 7.3: ओएमसीज द्वारा सीएसआर निधियों के उपयोग का विवरण (₹ करोड़ में)

ओएमसी	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
आईओसीएल	41.60	10.79	54.20	**106.59**
बीपीसीएल	16.44	12.94	29.58	**58.96**
एचपीसीएल	15.99	14.09	31.06	**61.14**
कुल	**74.03**	**37.82**	**114.84**	**226.69**

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमओपीएनजी ने पीएमयूवाई में उपयोग के लिए सीएसआर निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं की गणना करने की अपेक्षा, पुरानी पद्धति के अनुसार एनओसीज को उनकी सीएसआर निधि के 20 *प्रतिशत* संग्रहीकरण करने के निर्देश दिए। क्योंकि मार्च 2019 तक केवल ₹ 286.69 करोड़[20] की राशि का उपयोग हो पाया था, ₹ 261.85 करोड़ की राशि आईओसीएल, जो कि पूल परिचालक था, के पास व्यर्थ पड़ी रही।

ओएमसी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष में अग्रनीत कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निधि के उपयोग हेतु, एमओपीएनजी ने एसईसीसी 2011 डाटा के अनुसार एकल पुरूष सदस्यों को, 5 कि.ग्रा. डबल बॉटल सिलेंडर (डीबीसी) कनेक्शन तथा ताज ट्रेपिज़ियम जोन के बीपीएल परिवार जो एसईसीसी डाटा का हिस्सा नहीं थे, को कनेक्शन जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

उत्तरों को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि सीएसआर निधियों की वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण की अनुपस्थिति में सीएसआर पूल में अधिशेष अंशदान के परिणामत: निधियां व्यर्थ पड़ी रही।

एमओपीएनजी ने उत्तर (मई 2019) दिया कि आईओसीएल को अधिशेष निधि, यदि कोई हो तो, संबंधित एनओसी को वापिस करने की सलाह दी गई है।

7.3 आईईसी/पीएमई कार्यकलापों पर अधिकतम अर्हक राशि से अधिक व्यय

पीएमयूवाई दावों के अतिरिक्त, एनओसीज द्वारा अंशदान की गई सीएसआर निधि से पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए समान उपयोग की दशा में, ओएमसी तिमाही आधार पर प्रशासनिक/आईईसी कार्यकलापों पर दो *प्रतिशत* व्यय की प्रतिपूर्ति दावा करने के लिए हकदार है।

ओएमसी के आईईसी/पीएमई दावों का निपटान निम्नलिखित तीन में से न्यूनतम के आधार पर पीपीएसी के माध्यम से किया जाऐगा।:

- तिमाही तक संबंधित ओएमसी को जारी निवल पीएमयूवाई दावों का दो *प्रतिशत*;

[20] पूर्ववर्ती बीपीएल योजना से हुई कमी को पूरा करने हेतु बीपीसीएल को जारी ₹ 60 करोड़ की राशि भी इसमें शामिल है।

- ओएमसीज द्वारा किए गए दावे के अनुसार तिमाही तक पीएमई/आईईसी पर वास्तविक व्यय
- पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन जारी करने हेतु सीएसआर निधियों से प्रयुक्त वास्तविक राशि।

आईईसी/पीएमई पर व्यय, दायर और निपटान किऐ गऐ दावों का ओएमसी-वार विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 7.4: ओएमसीज द्वारा आईईसी/पीएमई व्यय और उनके प्रति दावों के विवरण *(₹ करोड़ में)*

ओएमसी	अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि के लिए आईईसी/ पीएमई कार्यकलापों पर किया गया व्यय	अप्रैल 2016 - दिसम्बर 2018 तक की अवधि के लिए पीपीएसी द्वारा प्रसंस्कृत पीएमयूवाई नकद सहायता दावे	पीपीएसी द्वारा प्रसंस्कृत संचयी पीएमयूवाई दावों के अनुसार अर्हता (कॉलम 3 का 2 %)	पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए सीएसआर निधि से प्रयुक्त राशि।	अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि के लिए अर्हता के अनुसार न्यूनतम (कॉलम 2, 4 तथा 5 का न्यूनतम)	एमओपीएनजी द्वारा स्वीकृत और जारी किऐ गये आईईसी/पीए मई दावों की संचयी राशि
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
आईओसीएल	166.43	4425.38	88.51	88.51	88.51	51.34
बीपीसीएल	138.84	2446.91	48.94	29.38	29.38	16.44
एचपीसीएल	126.44	2523.59	50.47	30.08	30.08	30.08
कुल	**431.71**	**9395.88**	**187.92**	**147.97**	**147.97**	**97.86**

जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, दिसम्बर 2018 तक प्रतिपूर्ति योग्य राशि से ₹243.79 करोड़ का अधिक व्यय ओएमसी द्वारा आईईसी/पीएमई कार्यकलापों पर किया गया जो ओएमसीज पर अतिरिक्त भार है। इसके अतिरिक्त बीपीसीएल तथा एचपीसीएल द्वारा सीएसआर निधि का किया गया उपयोग पीएमयूवाई की संबंधित दो *प्रतिशत* अनुमत सीमा से कम था, जिसके कारण आईईसी/पीएमई कार्यकलापों के उनके प्रतिपूर्ति योग्य व्यय में कमी आई।

यदि पीएमयूवाई के सम्पूर्ण परिव्यय पर विचार किया जाए तो भी आईईसी/पीएमई प्रतिपूर्ति के लिए अधिकतम अर्हक राशि केवल ₹ 256 करोड़ ही होगी। इस अतिरिक्त लागत का अनुवर्ती वर्षों में बढ़ना तय है क्योंकि पीएमयूवाई को 2019-20 तक कार्यान्वित किया जाना है।

ओएमसीज ने उत्तर (अप्रैल 2019) दिया कि इतनी बड़ी योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अत्याधिक संसाधनों की तैनाती आवश्यक है जिसके कारण आईईसी/पीएमई व्ययों में वृद्धि हुई, इसकी तुलना किसी सामान्य परियोजना से नहीं की जा सकती। यह भी कहा गया कि एमओपीएनजी से इस सीमा को चार *प्रतिशत* तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त उत्तर को नोट करते समय, लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य पांच करोड़ से बढ़ाकर आठ करोड़ करने के बावजूद भी योजना को स्वीकृत करते समय सीसीईए द्वारा आईईसी/पीएमई के लिए निर्धारित सीमा में वृद्धि नहीं की गई।

आईईसी/पीएमई की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किये गये इस अतिरिक्त व्यय का वहन योजना समाप्त होने तक ओएमसीज को स्वयं के बजट द्वारा करना होगा।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2019) में कोई टिप्पणी नहीं दी।

7.4 पीएमयूवाई उपयोक्ताओं को सब्सिडी अंतरित न होना

ऋण न लेने वाले पीएमयूवाई लाभार्थी प्रथम रिफिल से ही रिफिल सब्सिडी प्राप्त करने के हकदार है। तथापि, ऋण प्राप्तकर्ता लाभार्थीयों को केवल ऋण की पूर्ण वसूली होने के पश्चात ही सब्सिडी अंतरित होनी थी। उपभोक्ता के बैंक खाते में रिफिल सब्सिडी अंतरित करने हेतु उपभोक्ता के बैंक खाता विवरण तथा आधार संख्या एलपीजी कनेक्शन के साथ एलपीजी वितरक के पास आलेखित होनी चाहिए।

डाटा विश्लेषण टूल का प्रयोग करते हुए पीएमयूवाई के लेनदेन डाटा (31 दिसम्बर 2018 तक) के विश्लेषण से पता चला कि:

a) 10.50 लाख ऋण प्राप्त न करने वाले पीएमयूवाई उपभोक्ताओं (आईओसीएल: 5.97 लाख, बीपीसीएल: 1.48 लाख तथा एचपीसीएल:3.05 लाख) के सक्रिय रहने और रिफिल लेने के बावजूद भी ₹ 78.85 करोड़ (आईओसीएल: ₹ 44.38 करोड़, बीपीसीएल: ₹ 13.04 करोड़ तथा एचपीसीएल: ₹ 21.43 करोड़) की सब्सिडी उनके बैंक खातों में अंतरित नहीं हुई;

b) इसी प्रकार, 15.43 लाख ऋण प्राप्तकर्ता पीएमयूवाई उपभोक्ताओं (आईओसीएल: 9.53 लाख, बीपीसीएल: 2.06 लाख तथा एचपीसीएल: 3.84 लाख) द्वारा अनुवर्ती रिफिलों पर ₹ 108.66 करोड़ (आईओसीएल: 66.02 करोड़, बीपीसीएल: 15.55 करोड़ तथा एचपीसीएल: 27.09 करोड़) की राशि की सब्सिडी इन उपभोक्ताओं के बैंक खातों में अंतरित नहीं हुई। 15.43 लाख उपभोक्ताओं में से 3.23 लाख उपभोक्ताओं (आईओसीएल: 2.24 लाख, बीपीसीएल: 0.26 लाख तथा एचपीसीएल: 0.73 लाख) का ऋण पूर्ण रूप से वसूल किया जा चुका था। 31 दिसम्बर 2018 को छह रिफिल[21] से कम उपभोग होने के कारण शेष उपभोक्ताओं की सब्सिडी देय थी।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि आधार लिंक न होना/डी-लिंकिग या बैक/एनपीसीआई के साथ खाते का निष्क्रिय होने जैसे विभिन्न कारणों से सब्सिडी विफल रही। तथापि, इस मामले पर बैंकों और एनपीसीआई से विचार-विमर्श किया गया है और ऐसे मामलों के प्रबंधन में प्रक्रियागत सुधार हेतु अक्टूबर 2018 में कार्रवाई की गई है।

एमओपीएनजी ने इसके अतिरिक्त कहा (मई 2019) कि सब्सिडी लेनदेन विफलता दर मात्र 0.5 *प्रतिशत* है और ओएमसीज सब्सिडी लेनदेन को पुन: आरंभ करने हेतु लगातार निगरानी और सुधारात्मक उपाय कर रही है।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि पीएमयूवाई के छह *प्रतिशत* उपभोक्ताओं को सब्सिडी अंतरित न होने के कारण वे अधिक रिफिल उपभोग हेतु हतोत्साहित हो सकते है क्योंकि

[21] 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक छह रिफिल तक ऋण वसूली को स्थगित कर दिया गया था।

वे बीपीएल श्रेणी से संबंध रखते है और उन्होंने सब्सिडी प्राप्त किए बिना रिफिल की उच्च दर का भुगतान किया है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं द्वारा रिफिल उपभोग के निम्न पैटर्न को ध्यान में रखते हुऐ यह महत्वपूर्ण हो जाता है।

7.5 पीपीएसी द्वारा पीएमयूवाई दावों की अप्रभावी संवीक्षा

पीएमयूवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, ओएमसीज द्वारा प्रस्तुत दावों की पूर्ण लेखापरीक्षा होनी चाहिए और वे लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किऐ जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि पीपीएसी ओएमसीज के नकद सहायता दावों की संवीक्षा उनकी लेखा पुस्तकों से करेगी और अनुरक्षित लेखाओं से क्रॉस चेक (प्रति परीक्षण) भी कर सकती है तथा इस उद्देश्य के लिए वे किसी भी संबंधित रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं या ओएमसी के कार्यस्थल, संयंत्र, क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्यालय आदि जा सकते है तथा अनुरक्षित रिकॉर्ड की जांच कर सकते है।

चूंकि योजना दिशानिर्देशों के अनुसार एसईसीसी-2011 के एएचएल टीआईएन लाभार्थियों की अर्हता का निर्धारण करने वाले प्राथमिक मानदंड थे, एएचएल टीआईएन पर समुचित प्रमाणीकरण स्थापित करना महत्वपूर्ण था ताकि अनर्हक व्यक्तियों को लाभ या एक ही लाभार्थी/परिवार को कई कनेक्शन प्रदान किऐ जाने वाले मामलों से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त, पीपीएसी, जिसे पीएमयूवाई दावों की संवीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है, को एमओपीएनजी के लिए पीएमयूवाई दावों की सिफारिश करने से पूर्व पूरी तत्परता बरतनी थी ताकि डूप्लीकेट/बहु/एलपीजी कनेक्शन के कारण ओएमसीज के दावों की पहचान और प्रतिबंधित किया जा सके।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि ओएमसीज द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता डाटा (एक्सल फाईल) में संग्रहित एएचएल टीआईएन की पीपीएसी ने डी-डूप्लीकेशन जांच की और मार्च 2018 तक एक ही एसईसीसी परिवार/व्यक्ति को जारी डूप्लीकेट एलपीजी कनेक्शन के 38 मामलों की पहचान की। तथापि, इस डी-डूप्लीकेशन के लिए पीपीएसी द्वारा अपनाई गई कार्यविधि, वर्तमान तिथि तक पीपीएसी को प्रस्तुत सभी दावों की अपेक्षा उसी माह, उसके अंतर्गत और ओएमसीज के भीतर प्रस्तुत दावे के लिए एमएस-एक्सल में एएचएल-टीआईएन के मिलान तक ही सीमित थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि ओएमसीज द्वारा पीपीएसी को प्रस्तुत उपभोक्ता डाटा में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे उपभोक्ता का लिंग, जन्म-तिथि आदि सम्मिलित नहीं थे और इस डाटा में कई कमियां, जैसे लाभार्थियों के नाम न होना, खाली/खंडित/अधूरे एएचएल टीआईएन आदि, कुछ मामलों में पाई गई। इन तथ्यों की समीक्षा करना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुऐ महत्वपूर्ण था की पीएमयूवाई कार्यान्वयन पर पीपीएसी ने एक अध्ययन किया (अगस्त 2017) और कई गंभीर अनियमितताएं पाई जैसे कि ओएमसीज द्वारा अनर्हक लाभार्थियों (पुरूप, अल्पव्यस्क आदि) को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाना। इस प्रकार, यदि ओएमसीज के दावों के प्रसंस्करण से पूर्व यदि यह क्षेत्र/जानकारी प्राप्त और जांच की गई होती तो, पीपीएसी द्वारा की गई समीक्षा और भी प्रभावकारी होती।

पीपीएसी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि योजना के अनुसार, लाभार्थियों की अर्हता की जांच करना निदेशित नहीं था क्योंकि योजना के अनुसार ओएमसी नये एलपीजी कनेक्शनों के लिए अपेक्षित तत्परता हेतु डी-डूप्लीकेशन का कार्य इलेक्ट्रॉनिकली और अन्य उपायों से करती है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि कार्यन्वयन पर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् इसने उसी माह के भीतर उसके अंतर्गत और ओएमसीज के अंतर्गत जारी डूप्लीकेट कनेक्शनों की जांच आरंभ कर दी थी।

एमओपीएनजी ने उत्तर दिया (जुलाई 2019) कि दावों के प्रसंस्करण से पूर्व लाभार्थियों की पूरी जानकारी की जांच से प्रक्रियाओं का दोहराव हो जाता और पीपीएसी के अधिकार से विचलन हो जाता। इसके अतिरिक्त, ओएमसीज के दावों की उपयुक्त प्रमाणीकरण हेतु पर्याप्त जांच एवं उपाय लागू कर दिए गए है।

उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि प्रतिपूर्ति से पूर्व ओएमसीज के पीएमयूवाई दावों की संवीक्षा के लिए पीपीएसी सरकार द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त एक मात्र ऐजेंसी है। इसके अतिरिक्त पीपीएसी द्वारा संचालित अतिरिक्त डी-डूप्लीकेशन प्रक्रिया से वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी क्योकि यह संचित डाटा पर संचालित नहीं किया जा रहा।